न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 011 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. किशोरी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. नत्थुराम पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. परमेश्वरी पुत्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. मनभरी पुत्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं **(फौत)**

4 (1) विघाधर पु, रामूराम, जाति माली, निवासी अडूकिया स्कूल के पीछे, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

4 (2) विघाधर पु, रामूराम, जाति माली, निवासी अडूकिया स्कूल के पीछे, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

4 (3) विघाधर पु, रामूराम, जाति माली, निवासी अडूकिया स्कूल के पीछे, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

4 (4) विघाधर पु, रामूराम, जाति माली, निवासी अडूकिया स्कूल के पीछे, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री आनन्दी लाल सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थीगण की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 13.07.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विधयक रेफरेन्स प्रा0प0 पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 778 के अनुसार ग्राम बगड मे स्थित भूमि ख0न0 1340 रकबा 0.02 है0 किस्म बंजड 1, ख0न0 1341 रकबा 1.37 है0 किस्म बंजड 1 की गैर खातेदारी किशोरी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, नत्थुराम पु0 हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, परमेश्वरी पुत्री

हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, मनभरी पुत्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं एवं पूर्व के रिकॉर्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

क्र0 सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2024–2027	943/2	5 बीघा 10 बिस्वा	बंजड टिब्बा	हनुमान पु0 रामसुख, जाति माली, नि0 ग्राम मु0 ... गैर खातेदार
2.	2028–2031	943/2	5 बीघा 10 बिस्वा	बंजड टिब्बा	हनुमान पु0 रामसुख, जाति माली, नि0 ग्राम मु0 ... गैर खातेदार
3.	2032–2035	943 मी0	5 बीघा 10 बिस्वा	बंजड टिब्बा	हनुमान पु0 रामसुख, जाति माली, नि0 ग्राम मु0 ... गैर खातेदार
4.	2045–2048	943 मी0	5 बीघा 10 बिस्वा	बंजड टिब्बा	हनुमान पु0 रामसुख, जाति माली, नि0 ग्राम मु0 ... गैर खातेदार
5.	2005 (आधार वर्ष)	1340 1341	0.02 है0 1.37 है0	बंजड 1 बंजड 1	नत्थुराम, किशोरीलाल पि0 हनुमानप्रसाद, मनभरी, परमेश्वरी पुत्रियां हनुमानप्रसाद, जाति माली, नि0 ग्राम गै0 खातेदार
6.	2062–2065	1340 1341	0.02 है0 1.37 है0	बंजड 1 बंजड 1	नत्थुराम, किशोरीलाल पि0 हनुमानप्रसाद, मनभरी, परमेश्वरी पुत्रियां हनुमानप्रसाद, जाति माली, नि0 ग्राम गै0 खातेदार
7.	2065–2068	1340 1341	0.02 है0 1.37 है0	बंजड 1 बंजड 1	नत्थुराम, किशोरीलाल पि0 हनुमानप्रसाद, मनभरी, परमेश्वरी पुत्रियां हनुमानप्रसाद, जाति माली, नि0 ग्राम गै0 खातेदार
8.	2069–2072	1340 1341	0.02 है0 1.37 है0	बंजड 1 बंजड 1	नत्थुराम, किशोरीलाल पि0 हनुमानप्रसाद, मनभरी, परमेश्वरी पुत्रियां हनुमानप्रसाद, जाति माली, नि0 ग्राम गै0 खातेदार
9.	2074–2077	1340 [illegible]	0.02 है0 [illegible]	बंजड 1 [illegible]	नत्थुराम, किशोरीलाल पि0 हनुमानप्रसाद, मनभरी, परमेश्वरी पुत्रियां हनुमानप्रसाद, जाति माली, नि0 ग्राम गै0 खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2024–202[illegible] गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तहफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 778 के अनुसार ग्राम बगड़ में स्थित भूमि ख0न0 1340 रकबा 0.02 है0, किस्म बंजड 1, ख0न0 1341 रकबा 1.37 है0, किस्म बंजड 1 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण कें खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बगड की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 1340 रकबा 0.02 है0, किस्म बंजड 1, ख0न0 1341 रकबा 1.37 है0, किस्म बंजड 1 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2024–2048 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 943/2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थीगण वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म बंजड टीबा है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नही है। उक्त किस्म की भूमि का आंवटन/नियमन अप्रार्थीगण के पक्ष मे किया जा सकता है। जमाबन्दी (रिकार्ड) मे अप्रार्थी का नाम संवत् 2024 से अर्थात 50 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है एवं विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विवादित भूमि की खातेदारी हेतु दावा विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र या तो खारिज फरमाया जावे या फ़िर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विचाराधीन वाद के निर्णय तक रेफरेन्स की कार्यवाही स्थिगित रखी जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम बगड की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 1340 रकबा 0.02 है0 किस्म बंजड 1 एवं ख0न0 1341 रकबा 1.37 है0 किस्म बंजड 1 जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 943/2 रकबा 5 बीघा 10 बिश्वा है की गैर खातेदारी किशोरी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, नत्थुराम पु0 हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, परमेश्वरी पुत्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, मनभरी पुत्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, सा0 ग्राम गैर खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज व जमाबन्दी से तथा बहस वकील अप्रार्थीगण से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की गैर खातेदारी अनोवदक के नाम 50 वर्षो से रही है। वर्तमान में अप्रार्थीगण का ही विवादित भूमि मौके पर कब्जा है। विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विवादित भूमि की खातेदारी हेतु अप्रार्थीगण का दावा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स पर कोई कार्यवाही की जाना उचित नही समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनूं

5 अतः ग्राम बगड तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 1340 रकबा 0.02 है0, किस्म बंजड 1 एवं ख0न0 1341 रकबा 1.37 है0, किस्म बंजड 1 की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के निर्णय तक कार्यवाही स्थिगित की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के निर्णय के उपरान्त यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो तहसीलदार झुंझुनूं पुनः नये सिरे से विवादित भूमि का रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested